इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206]　　भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 मई 2017—वैशाख 16, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2017

कमांक एफ 5–28/2017/1–55 :: राज्य शासन, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यकम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017 तथा मध्यप्रदेश निजी चिकित्सा और दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2017 के नियम कमांक कमशः 2 (vii) (हिन्दी में) एवं कमशः 2 (vii) (अंग्रेजी में) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

<u>हिन्दी नियमों में संशोधन</u>　2 (vii)

1– मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें की वेबसाईट www.health.mp.gov.in पर "Health Institutions" की लिंक में "List of identified difficult area Health institutions" पर प्रदर्शित सूची में से ऐसी राज्य तथा केन्द्र सरकार की लोक स्वास्थ्य संस्थायें जो difficult/most difficult/inaccessible चिन्हांकित है और (i) नगर पालिक निगम या उसकी भौगोलिक क्षेत्र की परिधि (सीमा) से जुडे/लगे हुये किसी विकास खण्ड में स्थित नहीं है या (ii) नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्र में या उसके भौगोलिक क्षेत्र की परिधि (सीमा) से जुडे/लगे हुए किसी ग्राम में स्थित नहीं है।

English नियमों में संशोधन 2 (vii)

State or Central Government public health institutions published on the website of Government of Madhya Pradesh, Directorate of Health Services www.health.mp.gov.in under the link "Health Institutions" in sub heading "List of identified difficult area Health institutions" which are not situated in

(i) Any Municipal Corporation or any development block whose geographical boundary touches the boundary of municipal corporation.

(ii) Any Municipality or Nagar Panchayat or any village whosegeographical boundary touches the boundary of Municipality/Nagar Panchayat.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागीरथ सुनहरे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200] भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 मई 2017—वैशाख 16, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2017

कमांक एफ-5/38/2017/1/55 /राज्य शासन, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यकम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

संशोधन (हिन्दी नियमों में) –

नियम कमांक–6 "पात्रता" के उप नियम (xii) लेफ्ट आउट सीट के आवंटन हेतु पात्रता–

i) लेफ्ट आउट के आवंटन हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगें :–

- क) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व की काउंसिलिंग की चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो ।
- ख) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व की काउंसिलिंग में "आप्ट फॉर वेटिंग" (Opt for waiting) का आप्शन दिया है ।
- ग) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यार्थी जिन्होनें पूर्व के काउंसिलिंग चरणों में च्वाईस फिलिंग (choice filling) नहीं की है ।
- घ) ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेशित हैं तथा उनके द्वारा "willingness to upgrade" का विकल्प चयनित किया गया है ।

ii) अर्थात् लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी अपात्र होंगें :–

क) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व की चरणों की काउंसिलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया है ।

ख) ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के उपरांत त्यागपत्र दिया गया है ।

ग) ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेशित हैं तथा उनके द्वारा "willingness to upgrade" का विकल्प चयनित नहीं किया गया है ।

संशोधन (अंग्रेजी नियमों में) –

नियम कमांक–6 "Eligibility"के उप नियम (xii) Eligibility for allotment of left out seats -

(i) Following candidates will be eligible for allocation of left out seats :-

(a) Such registered candidates who have not been allocated any seats in the earlier rounds of counselling.

(b) Such registered candidates who have given 'Opt for waiting' option in th earlier rounds of counselling.

(c) Such registered candidates who did not do choice filling in earlier rounds.

(d) Such candidates who are admitted on an allotted seat and have selected the option of " willingness to upgrade" during previous rounds of counselling.

(ii) Hence, following candidates will not be eligible for allotment of left out seats :-

(a) Such candidates who were allotted seat in the previous rounds of counselling, but who did not take admission on the allotted seats.

(b) Such candidates who have resigned after taking admission on the allotted seats in the previous rounds of counselling.

(c) Such candidates who are admitted on an allotted seat and who have not selected the option of "willingness to upgrade" during previous rounds of counselling.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागीरथ सुनहरे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.